अत्यन्त महत्वपूर्ण

संख्या-831 /90-सं0शि0प0का0/2016-02सं0शि0/2015

प्रेषक,

सुरेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कर्यान्वयन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 28 अक्टूबर, 2016

विषयः- संसद सदस्यों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रर्दशन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के पत्र संख्या संख्या-214/90-सं0शि0प0का0/2015-02सं0शि0/2015, दिनांक 15 सितम्बर, 2015 के साथ संलग्न संसदीय कार्य अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1541/90-सं-1-2013-66सं/1988, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समय-समय पर शासन स्तर से मा0 सांसदों/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जाते रहे हैं, इसके बावजूद पुनः शासन के संज्ञान में आया है कि मा0 सदस्यों के प्रति सामान्य शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। अधिकारी गण प्रायः मा0 सांसदो/राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के फोन नहीं उठाते हैं और न ही कॉल बैक करते हैं। यह मा0 सदस्य एवं उनके पद के गरिमा के प्रतिकूल है।

2- मा0 सदस्यगण, विधान सभा द्वारा वर्ष 2016 के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में मा0 विधायकों के प्रति समुचित शिष्टाचार/प्रोटोकाल का पालन न किये जाने विषयक बिन्दु की ओर मा0 सदन का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के साथ ही अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा निगम/उपक्रमों आदि को तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित करने का कष्ट करें। शासन के संज्ञान में यदि विशिष्ट रूप में कोई शिकायत प्राप्त होगी तो दोषी पाये जाने वाले संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

भवदीय

(सुरेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।